न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 244/2014
93/2016
रूणा देवी वनाम राज्य एवं कुमारी पिंकी

– :: आदेश :: –

22.7.17

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद अपीलार्थी रूणा देवी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या – 60/2013–14 के ज्ञापांक – 1296–1/आई०सी०डी०एस० दिनांक 23.09.2014 में पारित आदेश के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 244/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक – 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका – 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आंगनवाड़ी अपील वाद सत्तरकटैया परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत–सत्तर के आंगनवाड़ी केन्द्र–कैलू टोला (मिनी), आंगनवाड़ी केन्द्र कोड संख्या – 162, वार्ड संख्या–03 पर आवेदिका को सेविका पद से चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपील वापसी हेतु आवेदन दाखिल किया गया। आवेदिका ने सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि वे बिना भय, लोभ, दवाब में अपना अपील आवेदन वापस ले रही है। अतः अपीलवाद समाप्त किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.7.17
जिलाधिकारी,
सहरसा।

22.7.17
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1119-2/ विधि, सहरसा, दिनांक–27-07-2017.

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी० डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
27.07.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।